(iv) Two exchanges of 128 port and 512 port capacity developed by Indian Telephone Industries have been installed at Udayamperur (Kerala) and, Hebbagudi (Karnataka) respectively for field trial evaluation.

(c) These exchanges are under Planning|installation and will be commissioned progressively.

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

3089. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुंगेर जिला के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति हेतु दिये गये आवेदनों पर बिहार सरकार द्वारा अपनी अनुशंसा भेज दिये जाने के बावजूद स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है और कुछ मामलों में स्वीकृत पेंशन को रोक लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) जुलाई-अगस्त, 1986 के दौरान स्वतन्त्रता सेनानियों के बजाय आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया । इसके परिणामस्वरूप सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित आवेदन पत्रों को निपटान कर दिया । केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें विशेष बातें थीं और जिस पर केन्द्रीय सरकार के स्तर पर गैर सरकारी जांच समितियों द्वारा निर्णय किया जाना है । इस अभियान के दौरान मुंगेर जिले के बकाया आवेदन पत्रों को भी निपटाया गया । जैसे-जैसे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर बिहार सरकार से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द किए गए मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

कुछ मामलों में जिनमें मुंगेर जिले के मामले भी सम्मिलित हैं कोर्ट रिकार्ड के प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण बिहार सरकार की सिफारिशों और प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी के निजी जानकारी के आधार पर जारी किए गए फरारी के प्रमाण पत्रों के आधार पर पहले पेंशन मंजूर की गयीं थीं । तथापि बाद में यह पाया गया कि इन मामलों में संबंधित कोर्ट रिकार्ड उपलब्ध थे और जिन आवेदकों को रिकार्ड उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्रों के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई थी उनके नाम उपलब्ध रिकार्डों में फरार व्यक्तियों और हिरासत में रहे व्यक्तियों की सूची में नहीं थे । इन मामलों में पेंशन निलम्बित कर दी गई और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उन पर पुनर्विचार किया गया था क्योंकि स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन योजना के उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में सह-बन्दी प्रमाण पत्र और प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा निजी ज्ञान के आधार पर फरारी के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र तभी माने जाते हैं जबकि संबंधित अवधि के सरकारी रिकार्ड उपलब्ध न हों ।

Import of Technology

3090. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have entered into agreement with any country for import of such technology in which R&D have not shown any results;

(b) if so, what are the details;

(c) what are the key industrial sectors for which new technology and devices are required for modernisation of industry; and

(d) what measures Government propose to take to ensure that the workers may not suffer due to modernisation of technology?